रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया	डॉ. हेमलता आंकोदिया	घनश्याम गंगवाल	विनोद कुमार गहनोलिया
I.A.S. (Retd.)	Associate Professor, Collage Education	Joint Director Tourism (Retd.)	Chief Manager SBI (Retd.)
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
9664 139817	9414 938449	9414 012211	9414 149816

क्रमांक : एफ/अजाक/75/2020/1692 दिनांक : 30.08.2020

समस्त जिला प्रभारी/जिलाध्यक्ष/जिला महासचिव

अजाक

विषय :— "अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना" के दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से निर्धन प्रतिभावान विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित **"अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना"** के दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं। यह योजना 01.09.2020 से प्रभावी होगी।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

कार्यालय एवं पत्राचार का पता : 34/3-सी, किरण पथ, शिप्रा पथ रोड, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राजस्थान)

अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक रूप से निर्धन प्रतिभावान विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु

अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना

1. डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, संगठन द्वारा राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के निर्धन परिवारों के प्रतिभावान विद्यार्थियों का अध्ययन छोड़ने की दर (rate of drop-out) को कम करने, अध्ययन की निरन्तरता बनाये रखने, अग्रिम कक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से "अजाक प्रतिभावानं विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना" की घोषणा करता है। प्रस्तावित योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जावेगी।
2. योजना का नाम "अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना" होगा।
3. यह योजना 1 सितम्बर 2020 से प्रभावी होगी।
4. योजना के दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

(अ) आवेदक की पात्रता :–

i. विद्यार्थी राजस्थान राज्य का अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी हों।

ii. विद्यार्थी ने कक्षा 12 वीं में 85% न्यूनतम अंक प्राप्त कियें हो।

iii. विद्यार्थी के परिवार में माता–पिता, भाई–बहिन या अन्य सदस्य राजकीय/केन्द्र/उपक्रम सेवा में ना हों।

iv. चयन के समय समान वरीयता होने पर छात्राओं एवं पालनहार व नवजीवन योजनान्तर्गत पात्र परिवारों के विद्यार्थियों को वरीयता दी जायेगीं।

v. ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "पालनहार योजना" तथा "नवजीवन योजना" के अन्तर्गत पात्रता रखते हैं।

या

विद्यार्थी के परिवार की कुल वार्षिक आय रू 2.50 लाख से अधिक ना हों।

या

विद्यार्थी बीपीएल (स्टेट बीपीएल सहित) या मनरेगा जॉब कार्ड़धारी परिवार का सदस्य हों।

(ब) आवेदन प्रक्रिया :–

i. ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(A) ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया :– अजाक राजस्थान की वेबसाइट पर विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाईन भी भरा जा सकेगा।

(B) ऑफलाईन (हार्ड़ कॉपी) द्वारा :– जिला इकाई कार्यालय में सीधे अथवा डाक से आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित सभी दस्तावेजों को प्रेषित/प्रस्तुत कर सकते हैं।

ii. आवेदन पत्र जिला इकाईयों द्वारा, अजाक वेबसाईट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों से आमन्त्रित किये जायेंगे।

iii. विद्यार्थियों को आवेदन पत्र, परिशिष्ट–1 में 12 वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के पश्चात, जिला इकाई कार्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में जिला इकाई कार्यालय प्रस्तुत करना होगा।

iv. आवेदन पत्र के साथ संलग्न (हार्ड़ कॉपी/ऑनलाईन के लिए स्केन्ड–Scanned) किये जाने वाले स्व–प्रमाणित दस्तावेजो की सूची :–

(A) कक्षा 12 वीं की अंकतालिका की प्रति।

(B) सक्षम अधिकारी द्वारा विद्यार्थी/माता/पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(C) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आवेदक का जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

(C) आय प्रमाण पत्र की प्रति (आय प्रमाण पत्र अधिकतम 6 माह से अधिक पुराना नही हो।)

(D) विद्यार्थी के परिवार का जनआधार कार्ड/बीपीएल कार्ड/मनरेगा जॉब कार्ड/पालनहार या नवजीवन योजना का स्वीकृति पत्र की प्रति।

(E) विद्यार्थी/परिवार के बैंक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम।

(स) जिला स्तरीय छानबीन (scrutiny) एवं क्रियान्वयन समिति :– योजना अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता हैं :–

(i) जिला अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii) जिला कोषाध्यक्ष	सदस्य
(iii) जिला महासचिव	सदस्य सचिव

यह समिति योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉंच कर पात्र विद्यार्थियों की सूची वरियतानुसार मय आवेदन पत्र एवं समिति की अनुशंषा के साथ राज्य स्तरीय चयन समिति को प्रेषित करेगी एवं जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करेगी।

(द) राज्य स्तरीय चयन (Selection) एवं निगरानी (Monitoring) समिति :– जिला स्तरीय छानबीन (scrutiny) एवं क्रियान्वयन समिति से प्राप्त अनुशंषित आवेदन पत्रों के चयन, योजना के क्रियानवयन, निगरानी हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय चयन एवं निगरानी समिति का गठन किया जाता हैं :–

(i) अजाक अध्यक्ष	अध्यक्ष
(ii) अजाक कोषाध्यक्ष	सदस्य
(iii) राज्य कार्यकारिणी से कोई दो सदस्य	सदस्य
(iv) संबंन्धित जिले का अध्यक्ष/महासचिव	विशेष आंमत्रित सदस्य
(v) अजाक महासचिव	सदस्य सचिव

उपरोक्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति से प्राप्त आवेदनों की अनुशंसित सूची में से इस उद्देश्य हेतु जिले में उपलब्ध सहायता राशि के अनुसार पात्र विद्यार्थियों का चयन कर राशि स्वीकृत की जायेगी।

(य) सहायता राशि की उपलब्धता :– इस योजना के सफल संचालन हेतु धन राशि का प्रबन्ध जिला इकाईयों द्वारा किया जायेगा। जिला इकाईयॉं इस योजना हेतु दान–दाताओं/भामाशाहों से प्राप्त राशि को दान–दाताओं/ भामाशाहों के नाम की सूची सहित राज्य स्तरीय अजाक कार्यालय मे भेजते हुए प्रदेश स्तरीय बैंक खाता में जमा करवायेंगी।

(र) भुगतान प्रक्रिया :–

i. राज्य स्तरीय चयन एवं निगरानी समिति आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के बाद लाभार्थियों को स्वीकृत राशि जिला इकाईयों के खातों में हस्तान्तरण करेगी। जिला इकाईयां लाभार्थियों को अपने स्तर पर उनके बैंक खातों में भुगतान करेंगी। जिला इकाइयां अपने स्तर पर प्राप्त धन राशि व लाभार्थियों को भुगतान राशि के संबंध में लेख संधारण करेंगी एवं प्रविष्टियों का समायोजन, राज्य स्तरीय खाते के साथ करना होगा।

ii. जिला इकाईयों द्वारा इस योजना हेतु एकत्रित धन राशि का उपयोग केवल सम्बन्धित जिले के विद्यार्थियों के लिए ही किया जायेगा।

iii. वित्तीय सहायता के अन्तर्गत पुस्तकों, लैपटॉप का मूल्य, शैक्षणिक संस्थान/छात्रावास फीस सहित अन्य आवश्यक व्यय इत्यादि इस सहायता राशि के तहत समाहित होगा।

(ल) **छात्रवृत्ति संबन्धित अन्य शर्तें :–**

i. छात्रवृत्ति कक्षा 12 वीं पश्चात स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक योजना की सुविधानुसार उपलब्ध करवायी जायेगी।

ii. विद्यार्थी अगली कक्षा के लिए गत कक्षा के संतोषजनक परीक्षा परिणाम के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु पात्र होगा।

iii. विद्यार्थी जिन्हें छात्रवृति स्वीकृत की गयी है, के द्वारा उपयुक्त रोजगार/सेवा में कार्यग्रहण करने के बाद अजाक राजस्थान द्वारा नामित कम से कम 3 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग देना होगा (परिशिष्ट–2)। आर्थिक सहायता की राशि हर विद्यार्थी को कम से कम अजाक द्वारा प्रदत्त राशि के बराबर होगी।

iv. विद्यार्थी द्वारा शिक्षा सत्र के दौरान अध्ययन छोड़ने पर वित्तीय सहायता तुरन्त बंद कर दी जायेगी। यदि आवेदन पत्र में कोई तथ्य असत्य पाया जाता है या विद्यार्थी द्वारा वित्तिय सहायता का दुरूपयोग किया जाता है तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त मय ब्याज (12% प्रतिवर्ष) के साथ जमा कराने का उतरदायित्त्व संबंधित विद्यार्थी/माता–पिता का होगा। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता रू 50/– नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करनी होगी। (परिशिष्ट–2)

(व) **विशेष :–**

i. योजनान्तर्गत एक वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

ii. राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार होगा कि वह योजना के दिशा निर्देशों में किसी भी समय बगैर किसी सूचना के परिर्वतन कर सकती है। योजना के नियमों की व्याख्या समय–समय पर राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा की जावेगी तथा राज्य कार्यकारिणी का निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।

iii. किसी भी विद्यार्थी को इस योजना में प्रदत्त की जाने वाली आर्थिक सहायता को बिना कारण बताए कभी भी बंद करने का अधिकार, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति का होगा।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

परिशिष्ट–1

"अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना"

आवेदन–पत्र

स्व–हस्ताक्षरित / छाया चित्र

1. विद्यार्थी का नाम –
2. विद्यार्थी का जन्म दिनांक –
3. पिता का नाम –
4. माता का नाम –
5. आवेदक का लिंग (पुरूष / महिला) –
6. पिता का व्यवसाय –
7. माता का व्यवसाय –
8. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाइल नम्बर –
9. विद्यार्थी का आधार नम्बर –
10. विद्यार्थी के परिवार का जनआधार नम्बर –
11. क्या परिवार पालनहार / नवजीवन योजना का लाभार्थी हैं –
12. विद्यार्थी के बैंक खाते का नाम, खाता नम्बर, बैंक आईएफसी कोड, ब्रांच का नाम –
13. परिवार के कुल सदस्यों की संख्या –
14. क्या विद्यार्थी बीपीएल / मनरेगा जॉब कार्ड में परिवार के सदस्य हैं –
15. क्या विद्यार्थी के परिवार में माता / पिता के अलावा कोई व्यक्ति रोजगार में है? यदि हां तो विवरण दें–
    (i) व्यवसाय–रोजगार–
    (ii) विद्यार्थी से सम्बन्ध–
    (ii) वार्षिक आय –
16. परिवार के सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय –
17. कृषि भूमि यदि है तो उसका क्षेत्रफल –
    (i) सिंचित–
    (ii) असिंचित–
    (iii) भूमि की स्थिति– ग्रामीण / शहरी / अर्धशहरी –
18. अकादमिक (शैक्षणिक) योग्यता का विवरण :–

क्र. सं.	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	बोर्ड का नाम	बोर्ड में RANK
1	8वीं				
2	10वीं				
3	12वीं				

19. क्या परिवार राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हैं, यदि हाँ तो विवरण –
20. लक्ष्य एवं भविष्य की योजना का विवरण –

संलग्न :– सूची अनुसार

(हस्ताक्षर विद्यार्थी) (हस्ताक्षर अभिभावक)

परिशिष्ट–2

शपथ–पत्र

मैं ....पुत्र श्री / श्रीमति...
निवासी...
सपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि जो सहायता राशि मुझे "अजाक प्रतिभावान विद्यार्थी आर्थिक सहायता योजना" के माध्यम से अपने अध्ययन की निरन्तरता के लिए अजाक द्वारा प्रदान की गई थी उसके समतुल्य या उससे अधिक सहायता राशि मैं अजाक द्वारा अनुशंषित पात्र विद्यार्थियों को उनके अध्ययन की निरन्तरता को सुगम बनाने हेतु प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

(हस्ताक्षर विद्यार्थी)

(हस्ताक्षर अभिभावक)